उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी

5, सर्वपल्ली, माल एवेन्यू रोड, लखनऊ – 226001

फोनः 0522–2238846, +91–9151024463

Website:www.upsmfac.org Email:upmedicalfaculty@upsmfac.org

पत्रांक संख्या– 2604/24 दिनांक 12.04.24

अति आवश्यक / समयबद्ध

सेवा में,

प्रबन्धक / प्रधानाचार्य,
समस्त नर्सिंग एवं पैरामेडिकल प्रशिक्षण केन्द्र,
उत्तर प्रदेश।

विषय–अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति विषयक शैक्षिक सत्र 2023–24 हेतु शासन द्वारा निर्गत समय–सारिणी के अनुसार छात्रों के आवेदन पत्र को फॉरवर्ड कराकर वर्गवार सूची उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

उपर्युक्त विषयक आपको सूचित किया जाता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति विषयक शैक्षिक सत्र 2023–24 हेतु शासन द्वारा निर्गत समय–सारिणी के अनुसार छात्र / छात्रों के आवेदन–पत्र को फॉरवर्ड करने हेतु **समाज कल्याण विभाग द्वारा जारी दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत संस्था द्वारा दिया जाने वाला नोटरी शपथ–पत्र का प्रारूप (10 रूपया या उससे अधिक के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर नोटरी के साथ)** जोकि सम्बन्धित संस्थान द्वारा समाज कल्याण विभाग में जमा किया जाता है, की छायाप्रति अपने पत्र के साथ संलग्न करते हुए इस कार्यालय में समाज कल्याण विभाग द्वारा जारी समय–सारणी के अनुसार अवश्य जमा करायें, जिससे कि अध्ययनरत छात्र / छात्रों के आवेदन–पत्र को इस कार्यालय द्वारा अग्रसारित किया जा सके। जमा न कराये जाने की दशा में सम्बन्धित संस्थान स्वयं जिम्मेदार होगें।

भवदीय,

सचिव,
उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी।

दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत संस्था द्वारा दिया जाने वाला नोटरी शपथ–पत्र का प्रारूप

(10 रूपया या उससे अधिक के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर नोटरी के साथ)

समक्ष–सचिव, उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी, लखनऊ।

मै शपथी .... आयु .... वर्ष पुत्र श्री .... निदेशक/प्राचार्य/प्रधानाचार्य .... (शिक्षण संस्थान का नाम) .... जनपद लखनऊ शपथ पूर्वक निम्नलिखित बयान करता हूँ :–

1. यह कि सम्बन्धित संस्थान की मान्यता एवं सम्बद्धता निर्विवाद है। संस्थान की मान्यता एवं सम्बद्धता विगत .... से वर्तमान सत्र् 2023–24 हेतु नियनमानुसार सक्षम नियामक प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त है।

2. शपथी उपरोक्त संस्था में प्रधानाचार्य पद पर कार्यरत है।

3. यह कि शपथी का मोबाइल नम्बर .... तथा ई–मेल आई.डी. ....है।

4. यह कि शपथी ने शिक्षण सत्र्/वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु उत्तर प्रदेश छात्रवृत्ति वेबसाइट से सभी पात्र छात्र/छात्राओं का डाटा आनलाइन अग्रसारित करके डाउनलोड की गयी सूची संलग्न की गयी है।

5. यह कि अनुसूचित जाति/जनजाति एवं सामान्य वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत केवल उन्ही छात्र/छात्राओं का डाटा अग्रसारित किया गया है, जिनकी कक्षा में उपस्थिति 75 प्रतिशत से अधिक है।

6. यह कि अनुसूचित जाति/जनजाति एवं सामान्य वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत व्यवसायिक पाठ्यक्रमों के केवल उन्ही छात्र/छात्राओं का डाटा अग्रसारित किया गया है, जिनका प्रवेश राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षा/चयन प्रक्रिया के माध्यम से हुआ है। कोई भी छात्र/छात्रा प्रबन्धकीय कोट/स्पॉट सीट से प्रवेशित नहीं है।

7. यह कि जिन व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में कक्षा–12 के अंको के आधार पर प्रवेश लिया जाता है, उनमें अध्ययनरत अनुसूचित जाति/जनजाति एवं सामान्य वर्ग के ऐसे छात्र/छात्राओं के ही अग्रसारित किये गये है, जिनका कक्षा–12 में प्राप्तांक 60 प्रतिशत या उससे अधिक है।

8. यह कि आवेदन पत्र अग्रसारित करने में अनुसूचित जाति/जनजाति एवं सामान्य वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति नियमावलियों का अक्षरशः पालन किया गया है।

9. यह कि शपथी द्वारा छात्रवृत्ति वेबसाइट पर अग्रसारित किये गये आवेदन पत्रों की हार्डकॉपी प्राप्त की गयी है जिसके साथ आवश्यक सभी दस्तावेज संलग्नक कराये गये हैं तथा उनकी जाँच छात्रवृत्ति नियमावली के प्राविधाननुसार शिक्षण संस्थान पर गठित समिति द्वारा छात्र/छात्राओं के पूर्व वर्षों की छात्रवृत्ति का डाटा छात्रवृत्ति वेबसाइट के शिक्षण संस्थान लॉगिन पर उपलब्ध 'ट्रेक स्टूडेन्ट रिकार्ड' ऑप्शन से मिलान करने उपरान्त आय एवं जाति प्रमाण–पत्र एवं आय प्रमाण–पत्र में अंकित धनराशि तथा आय व जाति प्रमाण–पत्र धारक के नाम आदि का मिलान बोर्ड ऑफ रेवन्यू/ई0–डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश की वेबसाइट से कर लिया गया हैं। छात्र/छात्रा के बोर्ड/विश्वविद्यालय के पंजीयन क्रमांक/परीक्षाफल आदि का मिलान सम्बन्धित बोर्ड/विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध डाटा से करने उपरान्त स्वीकृति प्रदान की गयी है। उपरोक्त प्रक्रिया पूर्ण करने के उपरान्त ही शपथकर्ता द्वारा आनलाइन आवेदन पत्र अग्रसारित किये गये है।

10. यह कि उपरोक्त छात्र/छात्राओं के आनलाइन आवेदन पत्रों की हार्ड कॉपी समस्त संलग्नकों सहित दो प्रतियों में 10 वर्षों तक शिक्षण संस्थान में रक्षित रहेगी, जिसकी एक प्रति माँगे जाने पर उपलब्ध करा दी जायेगी।

11. यह कि अग्रसारित किये गये आवेदन पत्रों में यदि कोई आवेदक अपात्र पाया जाता है तो उसका पूर्ण उत्तरदायित्व शिक्षण संस्थान का होगा।

12. यह कि शपथ–पत्र की धारा–01 से 10 तक पूर्णतया सत्य है, किसी तथ्य का छुपाया नहीं गया है। किसी तथ्य को छुपाये जाने की दशा में पूर्णतया उत्तरदायित्व संस्थाध्यक्ष का होगा।

हस्ताक्षर
(छात्रवृत्ति नोडल अधिकारी का नाम)
पदनाम

हस्ताक्षर
(प्रधानाचार्य का नाम)
पदनाम